2019–2029 किसान राष्ट्रीय एजेंडा–राजनीतिक दलों और अन्य लोगों के साथ राजी होने के लिए

(चर्चा और किसानों के साथ परामर्श के लिए मसौदा) 04.02.2019

पी.चंगल रेड्डी, मुख्य सलाहकार–सी.आई.एफ.ए., ई–मेल : **chengal.p@gmail.com**

बोज्जा दशरथरामि रेड्डी, महासचिव–सी.आई.एफ.ए., ई–मेल : **cifadelhi2006@gmail.com**

पृष्ठभूमि नोट :– कृषि क्षेत्र में नीतियों और सुधारों की आवश्यकता है?

कृषि क्षेत्र–व्यवसाय, पशुपालन–मछली पकड़ना–650 मिलियन के लिए आजीविका है। हरे, सफेद, नीले और मुर्गी विकास में किसानों के लिए सीमित प्रभाव है। 1990 के उदारीकरण सक्षम सेवा और उद्योग टेस्नॉलॉजी निवेश और प्रोत्साहन के कारण 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करते हैं। उसी को कृषि क्षेत्र से वंचित कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप एक प्रतिशत से दो प्रतिशत ठहराव होता है।

लक्ष्य : कृषि क्षेत्र को परिवाद करना :–

1. खेती को आर्थिक रूप से स्थायी पेशा बनाया जाए :– उपज अंतराल कम करें–सभी को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना–इनपुट और भूमि उपयोग का अनुकूलन–उत्पादन की लागत को कम करना–संकटग्रस्त बिक्री की कटौती–ज्ञान व्यक्तिगत के रूप में किसान–मूल्य वर्धन में वृद्धि।
2. 2019–2029. कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का केंद्र–टेक्नॉलॉजीस–निवेश–बाजार में सुधार।
3. 10 साल की योजना–कमोडिटी आधारित नीतियां/कार्यक्रमों :– एकड़–उत्पादन–प्रसंस्करण–विपणन।
4. कृषि और सिंचाई को समवर्ती सूची के तहत शामिल किया जाना है।
5. अलग केंद्रीय कृषि बजट–उप प्रधानंत्री के अधीन।
6. निज़ी निवेश की अनुमति दें–आधारित संरचना–प्रसंस्करण–अनुसंधान–जी.एम.ओ. नैनो.आई.टी.–सुदूर संवेदन–विस्तार

मुद्दों पर पृष्ठभूमि नोट/टिप्पणी

क्र.सं.	विषय–विवरण	परिवर्तन–सुझाव
1	**कृषि नीतियां :–** जैसे 1951 में एक औद्योगिक नीति तैयार की गई थी, क्या वैसे ही एक राष्ट्रीय कृषि नीति हो सकती है? वेतन आयोग की रिपोर्ट को तुरंत लाग किया जाता है लेकिन कृषि रिपोर्टों को नहीं : 1. राष्ट्रीय आयोग का कार्यान्वयन (डॉ.एम.एस.स्वामीनाथन) 2006 की रिपोर्ट यू.पी.ए. (2004–2014) और एन.डी.ए. (2015–2018) द्वारा लागू नहीं की गई है। यह किसानों और अन्य लोगों द्वारा उजागर किया गया है कि इसमें कई किसानों की सिफारिशें और अध्ययन की आवश्यकता है। 2. महत्वपूर्ण मुद्दे–सी.ए. सी.पी. को स्वायत्त बनाना। 3. जोखिम शमन निधि (1.4) कमोडिटी बोर्ड (1.5) मुद्दों को चर्चा के दौरान पहचाना गया।	1. 2019 संसद चुनाव के बाद विशेष संसद सत्र।
2	**मशीनीकरण युवाओं को गरिमा प्रदान करता है :–** खेती का कुल मशीनीकरण–महिलाओं और पुरुषों के लिए शारीरिक परिश्रम कम करें। युवाओं को खेती में आकर्षित करना–गतिविधियों को समय पर पूरा करना–1–5 साल के लिए 4 प्रतिशत की दर से 50 प्रतिशत सब्सिडी और ऋण द्वारा निवेशों को बढाएं।	1. निवेश की गुंजाइश 2. ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प शिक्षित के लिए रोजगार/नौकरियों को सृजित करना।
3	**जोखिम शमन से राहत :–** 3.1 क्षति का आकलन करने और किसानों के बैंक खाते में सीधे	1. समयबद्ध जोखिम शमन

	भुगतान के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके 30 दिनों के भीतर बीमा का भुगतान। 3.2 प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्ण मुआवजा प्रदान करना।	
4	**प्रस्तावित कमोडिटी बोर्डः–** सभी फसलों के लिए राष्ट्रीय कमोडिटी बोर्ड– 1. जिला/क्षेत्र/क्षेत्रीय स्तर/राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क, 2. फसल क्षेत्र को सीमित करने के लिए, 3. उत्पादन, 4. प्रसंस्करण, 5. सुरक्षित भंडार, 6. नियति, 7. गुणवत्ता, 8. अनुसंधान।	1. सरकार द्वारा हस्तक्षेप को कम करना। 2. किसानों और उद्योग को एक साथ काम करने की अनुमति दें। 3. दीर्घकालिक योजना की अनुमति देता है 4. डब्ल्यू टी ओ की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता
5	**प्रस्तावित कमोडिटी बोर्ड सुधार :–** 5.1 किसान संस्थानों की लोकतंत्रीकरण – चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू, मछली पालन के मौजूदा कमोडिटी बोर्ड वैश्वीकरण, डब्ल्यू.टी.ओ. (विश्व व्यापार संगठन), तकनीकी लाभ आदि का सामना करने में सक्षम नहीं है। 5.2 यह सरकारी अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 5.3 वे किसानों के मेंबरशिप एवं मैनेजमेंट होने चाहिए। 5.4 निदेशक एवं अध्यक्ष पद के लिए 5 वर्षों की समय सीमा में चुनाव आयोजित किये जाने चाहिए। 5.5 बोर्ड की निगरानी में सक्षम व्यक्ति (बाहरी व्यक्ति सहित) को मैनेजिंग डायरेक्टर/सी.ई.ओ. के रूप में चुना जाना चाहिए। (देश भर से किसान सेवाओं से बोर्ड द्वारा चयनित अधिकारी)	1. स्थानीय संसाधनों की रक्षा के लिए किसानों को जिम्मेदारी के साथ शामिल होना चाहिए। 2. किसान मुद्दों की शिकायत/राजनीतिकरण बंद कर देता है।

6.	**खेती के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को जोड़ना :–** उत्पादन की लागत कर करें–पचास प्रतिशत खेती के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को जोड़ना : पचास प्रतिशत श्रम साझा लागत। 6.2 ग्रामीण संपत्ति/बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम के रूप में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को परिवर्तित करना। 6.3 यह श्रम की कमी का समाधान करेगा।	
7.	**जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत कृषि योजना :–** अ. जैसा कि राजाजी ने कहा, 'भारत हमेशा से ही बिना सरकार के सभ्यता वाला रहा है और जैसा कि गांधीजी ने कहा 'भारत अपने गांवों में बसता है।' विकेंद्रीकरण और पंचायती राज कृषि के लिए व्यख्त जरूरत है। आ. जिला परिषद/पंचायत–पंचायत के अधीन योजना और कार्यान्वयन। इ. अध्यक्ष के मुख्य कार्यकारी को अखिल भारतीय कृषि सेवाओं या अनुभव के साथ पेशेवर (कृषि, विपणन, विशेषज्ञ–पशु, चिकित्सा, मत्स्य–पालन–बागवानी–इंजीनियर) से 5 साल की अवधि के लिए चुना जाएगा।	पूर्ववत्
8.	**किसान सशक्तीकरण संघ :–** सहकारी समितियों के किसान प्रबंधन–पानी उपयोगकर्ता संघों–बाजार यार्ड–पांच साल के लिए चुनाव–दो अवधियों के लिए समिति–पेशेवर के बीच मुख्य कार्यकारी का चयन।	पूर्ववत्

9	**जोखिम से राहत – खराब होने वाले :–** 1. जोखिम न्यूनीकरण फंड पेरिशेबल्स के लिए। अतिरिक्त आगमन की खरीद–सब्जियां–फल–समय पर निर्णय लेने के लिए स्थयी समिति के अध्यक्ष और कृषि/बागवानी अधिकारी 2. जी.ओ.आई. द्वारा 75 प्रतिशत और राज्यों से 25 प्रतिशत एक बार के लिए समर्थन। 3. बाजार समितियों द्वारा एकत्रित स्थायी निधि की ओर बाजार कर 1 प्रतिशत।	
10.	**रेगिस्तान/जंगल में किसानों के जीवन की सुरक्षा :–** दलदलों के लिए रेगिस्तानी इलाकों/जंगल में किसानों को सब्सिडी वाले जूते और रबर ग्लाउज दिलवाना क्योंकि उनके अभाव में हर साल हजारों किसानों की मौत बिजली के झटके, सांप के काटने बिच्छू के काटने, गत में दुर्घटना/पैर टूटने आदि के कारण होती है।	
11.	**खानाबदोश और आदिवासियों का समर्थन करना :–** 11.1 सभी खानाबदोशों को 2/3/4 पहिया (कारवां) रियायती–आदिवासी–चरवाहे–मछुआरे–मौसम से बचाव करना–तेज संचार–अस्पतालों में स्थानांतरण	
12.	**भूमि बाजार में सुधार :–** 12.1 खुले बाजार के साथ समूल्य पर भूमि मूल्य में वृद्धि 12.2 पंजीकरण शुल्क कम करना। 12.3 भ्रष्टाचार को कम करना।	
13.	**कृषि सुधार :–** उप प्रधानमंत्री के अधीन अलग कृषि बजट के लिए संवैधानिक सुधार कृषि पोर्टफोलियो को निम्न श्रेणी का माना जाता है।	1. मुख्य वर्गों के बीच दृष्टिकोण में बदलाव लाना। 2. फर्म सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के

		संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना।
14.	**सरकार और निजी द्वारा अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना :–** 1. स्वायत्त–भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आई.एस.आर.ओ.– 2. आई.सी.ए.आर. के तहत जी.एम.ओ. की मंजूरी–यदि भारत को अपनी कृषि का आधुनिकीकरण करना है तो यह जरूरी है। और स्पष्ट रूप से नई तकनीकों को अपनाना अस्तित्व के लिए क्योंकि यह कोई लक्जरी नहीं है। 3. आई.सी.ए.आर. के तहत विदेशी प्रोद्योगिकियों के लिए अनुमति 4. अ. भारत जी.एम.ओ पदार्थों का आयात करता है। आ. अमेरिका में एन.आर.आई. रोजाना जी.एम. खाद्य पदार्थ खाते हैं। इ. भारतीय जी.एम. का उपयोग करते हैं लेकिन जी.एम. दवाओं की अनुमति नहीं देते हैं। 5. जी.एम.ओ. की एक समय बांड स्वीकृति प्रदान करें। 6. एम.आन.सी. जी.एम.ओ. को प्रोत्साहित करना।	1. सरकारों द्वारा आयोजित द्वंद्व और कृषि क्षेत्रों के लिए अनुसंधान पर संगठित क्षेत्र को रोकना/उजागर करना
15.	**विशेष कृषि सेवाएं :–** 1. अखिल भारतीय कृषि/पशु चिकित्सा/मत्स्य/अभियंत्रिकी सेवा 2. सचिवों/निदेशकों और मंत्रालयों/विभागों का चयन 3. वस्तु बोर्डों के लिए सी.ई.ओ. 4. पंचायतों के लिए सी.ई.ओ.	2.
16.	**सिंचाई के मुद्दों का स्थायी समाधान :–** (मौजूदा राजनीतिक/प्रशासन/केंद्रीय/राज्य संघर्ष पानी के	1. पानी के युद्धों को रोकना 2. स्थायी रूप से पानी की बर्बादी

	मुद्दों/संघर्षों को हल नहीं कर सकते हैं।) 1. सभी को सिंचाई उपलब्ध करना–सभी सिंचाई परियोजनाओं के लिए भारत सरकार का एक बार का निवेश 2. स्थाई रूप से 60 प्रतिशत वर्षा आधारित खेती को हल करना। 3. राज्य सरकारें सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं कर सकती है। 4. सभी सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके को पूरा करने के लिए समाधान उपलब्ध करने के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय सिंचाई पाधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। **5. नदी घाटी प्राधिकारण :– नियामक आयोग :–** **अ. न्यायिक शक्तियां :–** पानी का आबंटन। **आ. वित्तीय शक्तियां :–** पानी की दरें तय करना। **इ. प्रशासनिक शक्तियां :–** पानी के उपयोग की निगरानी करना। 6. पानी का समान वितरण/आबंटन–कृषि–उद्योग 7. आबंटन/उपयोग :– मूल्य मीट्रिक आधार–फसल का पैटर्न तय करना 8. अपव्यय, गलत इस्तेमाल को घटाना और मुफ्त पानी की सुविधा 9. अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों को कम करना। 10. पानी के राजनीतिकरण को घटाना।	को समाप्त करना 3. पर्यावरण संरक्षण
17.	**किसानों के कच्चे माल की आपूर्ति और उद्योग के बीच दीर्घकालिक एम.ओ.यू.** 1. कच्चे माल की आपूर्ति किसानों को प्रसंस्करण उद्योगों–चीनी, दूध, तेल के बीज, जूट, सब्जियों, फलों आदि के साथ पंजीकृत	1. मजदूर संघों के समान किसानों को मैन एजेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। 2. किसानों को विकास के हिस्से

	करना 2. चुने गए सदस्यों को उद्योग में, निदेशक बनाया जाना चाहिए। 3. उद्योग के मुनाफे को कच्चे माल आपूर्तिकर्ता किसानों के साथ बोनस/लाभांश के रूप में साझा किया जाएगा। 4. अनुबंध खेती को उदार बनाना।	का एहसास दिलाएं।
18.	**सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसान संघ** 1. प्रत्येक वस्तु के लिए किसान यूनियन चुनाव कराने के लिए श्रम मंत्रालय के समान राष्ट्रीय/राज्य मंत्री होंगे। 2. राज्य/केंद्रीय मंत्रालय द्वारा निर्धारित किसान यूनियनों को पंजीकृत/मान्यता दी जाएगी। 3. मान्यता प्राप्त किसान संघ द्वारा मध्यस्थता/वार्ता की जाएगी।	पूर्ववत्
19.	**किसानों की रिपोर्ट का कार्यान्वयन** 1. चीनी पर डॉ.रंग राजन समितियों की रिपोर्ट को समयब' तरीके से लागू करना। 2. प्रत्येक चीनी कारखाने में किसान संघों को 2019–2020 तक मान्यता दी जाएगी। 3. गन्ना उत्पादन चीनी खपत–निर्यात–गुड़–हथेनाल मिलाना/उपयोगों का निर्धारित राष्ट्रीय समिति 1. चीनी किसान राष्ट्रीय समिति, 2. आई.एस.एम.ए., 3. निर्तक, 4. रासायनिक उद्योग, 5. मंत्रालय के अधिकारी	
20.	**किसान के नेताओं को पुरस्कार** 1. चरण सिंह–देवीलाल–आचार्य एन.जी.रंगा राव–शरद जोशी, नारायणस्वामी नायडु और प्रोफेसर नंजुंदा स्वामी	

21.	**जंगली जानवरों को पालना–पंचायतों को सशक्त बनाना** 1. जंगली जानवरों के पालने को लागू करने के लिए ग्राम सभा को सशक्त किया जाना चाहिए। जंगली बोअर ब्लू बुल बंदर, नीलगाय और अन्य लाखों किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2. मौजूदा जंगली पशु अधिनियम किसानों को स्वीकार्य नहीं है। 3. जंगली जानवरों को नियंत्रित करने/ालने के लिए अधिकारियों के परामर्श में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए कानून में बदलाव किया जाए।	
22.	**व्यक्तिगत किसान लाभार्थीपरक योजनाएं** 1. प्रत्येक किसान परिवार को स्थायी आधार पर 3 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा दिया जाएगा। (अभी यह आवश्यक नहीं है) 2. हर किसान के परिवार को उच्च शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत ब्याज पर 3–5 लाख (कृषि, पशु चिकित्सा, एम.बी.ए., विपणन, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, आई.टी. आदि) शैक्षिक ऋण प्रदान किया जाएगा। 3. प्रत्येक किसान परिवार (पति और पत्नी) को 60 वर्ष की आयु के बाद 5000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। 4. किसान अंशदायी पेंशन 5000 रुपये से अधिक 1. किसानों द्वारा 25 प्रतिशत, 2. राज्य द्वारा 25 प्रतिशत, 3. जी.ओ.आई. द्वारा 50 प्रतिशत 5. मृत्यु के बाद पति या पत्नी को पेंशन जारी रहेगा। 6. आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों का विशेष देखभाल	

23.	**कानूनी सुधार** 1. कीटनाशकों और उप मानक उपकरणों सहित आदानों की मिलावट का कड़ा अपराध माना जाएगा। 2. न्यूनतम 10 वर्ष कारावास और संपत्ति की जब्ती 3. भूमि अधिनियम के लिए मुआवजा तय करने के लिए विशेष अदालतें/भूमि के नुकसान और बिजली के टवरों, लाइनों और भूमिगत पानी/तेल/गैस/रासायनिक पाइपलाइनों के निर्माण के लिए किसानों के लिए विशेष अदालतें। 4. उच्चतम न्यायालय के पास संवैधानिक प्रावधानों के अलावा अन्य मुद्दों से निपटने के लिए क्षेत्रीय अदालतें। 5. यह आम आदमी/किसानों के लिए विकेंद्रीकृत न्यायिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। 6. भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में केवल संवैधानिक मामलों को निपटाया जाना चाहिए। 7. विकेंद्रीकृत/स्थानीय कानूनी निर्णय :– 1. न्याय पंचायतें 8. अधिग्रहण से पहले भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिया जाना चाहिए। 9. परियोजना शुरू करने से पहले विद्युत हाई टेंशन ट्रांसमिशन टावर्स और लाइनों के तहत भूमि क्षति के लिए कुल मुआवजा। परियोजना शुरू करने से पहले पानी, गैस और अन्य उत्पादों के तहत जमीन को नुकसान के लिए कुल मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।	
24.	**अनुबंध खेती को प्रोत्साहित करना** 1. किसानों/भूमि मालिक और किरायेदार के बीच समझौते के रूप	

	में अनुबंध खेती को उदार बनाना। 2. राज्य या केंद्र सरकारों को अनुबंध खेती में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 3. बैंकों/वित्तीय संस्थानों को दीर्घकालिक अनुबंध खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।	
25.	**महिला किसानों को आर्थिक समानता** 1. महिलाओं के नाम पति की संपत्ति में दर्ज किये जाएंगे। इसमें जमीन जायदाद, मकान, पेंशन, बीमा, शेयर और अन्य शामिल हैं।	
26.	**प्रशासनिक सुधार** 1. सरकार/बैंकों को 30 दिनों के भीतर किसानों द्वारा दिये गये आवेदनों का जवाब देना होगा। (4 हफ्ते) 2. जवाब देने में विद्यलता को एक अनुमोदित माना जाएगा (उदाहरण–किसानों का पेड़ काटने की अनुमति लेने के लिए आवेदन करना) 3. प्रतिक्रिया के लिए संस्थानों द्वारा समय सीमा तय की जानी है। किसानों के आवेदनों/अभ्यावेदन/पत्रों का जवाब देने के लिए बैंक/बीमा कंपनियां/बिजली विभाग/जल बोर्ड 4. देरी के लिए जिम्मेदारी तय करें। 5. रुस्तमजी आयोग द्वारा सुझाए गए अनुसार प्रशासनिक सुधार 6. वेतन आयोग द्वारा अनुशासित सुधार 7. धार्मिक छुट्टियों को सीमित करना–5 दिन–व्यक्तिगत प्राथमिकता	
27.	**शिक्षा के लिए किसानों की प्राथमिकता** 1. किसानों को सरकारी या निजी शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प	

	2. अलग निजी शिक्षा का विकल्प चुना जाता है तो स्कूल/परिवार को नकद हस्तांतरण	
28.	**किसानों का जनगत संग्रह/जुटाना किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार** 1. राष्ट्रीय/राज्य/जिले/वस्तु पर समिति का गठन 2. मुद्दे का विवरण 3. मुद्दे का प्रकाशन 4. किसानों की राय जुटाना 5. परिणामों को प्रेस कांफ्रेंस में प्रचारित किया जाएगा। 6. परिणाम वेबसाइट पर रखे जाने चाहिए। 7. सी.आई.एफ.ए. समन्वय 8. कार्यक्रम आयोजित करने में भागीदारः– शिक्षात्मक/ट्रस्ट/संघ 9. राजनीतिक दलों को जनमत संग्रह के परिणाम प्रस्तुत करना 10. भारतीय खाद्य निगम, कपास निगम की स्थिति पर जनमत संग्रह 11. जनमत संग्रह–प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी–उर्वरक–बीज, कीटनाशकों–ट्रैक्टर–टपक–बैंक खाते में 12. जनमत संग्रह : कूपन/नकद हस्तांतरण के माध्यम से खाद्य सब्सिडी	
29	**चुनावी सुधार** 1. 80 प्रतिशत सत्रों में शामिल न होने वाले सांसद स्वचालित रूप में डीबार हो जाएंगे। 2. वापस बुलाने का अधिकार। 20 प्रतिशत मतदाताओं के हस्ताक्षर	